XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–114/2009

विश्वनाथ केडिया, पिता–स्व0 ब्रजमोहन केडिया, साकिन–गुलाबबाग, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ.....
आवेदक

बनाम्

नाथू लाल साह, पिता–स्व0 भुटु साह, साकिन–कसबा, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ .....
.....
विपक्षी

आदेश

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–6/2002 में दिनांक 06.11.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण वाद प्रारम्भ किया गया है। प्रश्नगत जमीन मौजा–हाँसदा, खाता नं0–252, खेसरा नं0–805, रकवा 1.09 एकड़ एवं खेसरा नं0–845, रकवा–1.95 एकड़ का खतियान पाबो देवी के नाम से था। पाबो देवी दिनांक 22.02.1970 को प्रश्नगत जमीन केवाला द्वारा नाथू लाल साह (विपक्षी) के पास बेंच दी। कुछ समय बाद 25.03.1971 को नाथू लाल साह ने प्रश्नगत जमीन पुनः पाबो देवी के हाथ बेच दिया। पाबो देवी दिनांक 05.04.1971 को प्रश्नगत जमीन के खेसरा नं0– 805, रकवा 1.09 एकड़ एवं खेसरा नं0–845, रकवा 13 डिसमिल गुलाबी दर्बे, पति रामलाल दर्बे के हाथ रजिस्टर्ड केवाला द्वारा बेच दी तथा खेसरा सं0–845, रकवा–1.82 एकड़ डोमन लाल साह, पिता–बुचाई साह के हाथ बेच दी। गुलाबी दर्बे एवं डोमन लाल साह दोनों अपने–अपने जमीन का नामान्तरण करवा कर दखलकार हुए। कालान्तर में गुलाबी दर्बे एवं डोमन लाल साह ने अपनी कुल प्रश्नगत जमीन दिनांक 21.12.1974 को विश्वनाथ केडिया (आवेदक) के हाथ रजिस्टर्ड केवाला द्वारा बेच दिया। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा नामान्तरण वाद सं0–507/86–87 एवं 512/86–87 द्वारा विश्वनाथ केडिया के नाम नामान्तरण का आदेश दिया गया। विपक्षी ने उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0–84/86–87 प्रारम्भ किया गया, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ ने दिनांक 16.06.1987 को अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को खंडित करने की स्वीकृति दी।

उल्लेखनीय है कि इस प्रश्नगत जमीन पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णियाँ के न्यायालय में द0प्र0सं0 की धारा 145 अन्तर्गत वाद सं0–69 M/87 की कार्यवाही भी प्रारम्भ हुई, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.1991 को पारित आदेश में आवेदक विश्वनाथ केडिया के स्वामित्व को ही बरकरार रखा गया। इसी संदर्भ में विपक्षी ने विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में क्रिमीनल रिभीजन का वाद प्रारम्भ किया गया और यहाँ भी विपक्षी के वाद को खारिज किया गया। पुनः विपक्षी ने सदर मुंसिफ के न्यायालय में टाइटिल सूट वाद सं0–111/2002 प्रारम्भ किया, लेकिन सदर मुंसिफ द्वारा भी दिनांक 04.12.2008 को विपक्षी के उक्त वाद को खारिज किया गया।

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आवेदक ने पुनः अंचल अधिकारी के कार्यालय में नामान्तरण हेतु विविध वाद सं0–01/98–99 दाखिल किया। अंचलाधिकारी ने इस वाद के लिए सरकारी अधिवक्ता से सलाह लेकर दिनांक 08.07.1999 को नामान्तरण का आदेश दियौ। तदुपरान्त विपक्षी अंचलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0–6/2002 प्रारंभ किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिए एकपक्षीय आदेश पारित कर अंचलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया। हल्का कर्मचारी ने भी जमाबंदी पंजी में आवेदक का नाम लुप्त कर विपक्षी का नाम अंकित कर दिया। रसीद कटाने के क्रम में आवेदक को इस बात की जानकारी हुई और आवेदक ने इस न्यायालय में यह पुनरीक्षण वाद पारम्भ किया है।

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवदेन करता है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख को देखकर अपने सतर से उचित न्याय करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि सर्वप्रथम आवेदक द्वारा प्रस्तुत सुधार आवेदन पत्र स्वीकृत करने योग्य नहीं है। आवेदक को प्रश्नगत जमीन की सही जानकारी भी नहीं है। अंचलाधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–507/86–87 एवं 512/86–87 में पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–84/86–87 प्रारम्भ किया, जिसमें दिनांक 16.07.1987 को विपक्षी के आवेदन को स्वीकृति मिली और आदेश विपक्षी के पक्ष में पारित हुआ। तदुपरान्त आवेदक ने इस न्यायालय में नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–14/88–89 दाखिल किया, जिसे इस न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। अपर समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 11.12.1992

12.12.1992 को वाद को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार आवेदक बार–बार न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता रहा है और इसी क्रम में पुनः एक विविध वाद संख्या–1/98–99 अंचलाधिकारी के न्यायालय में प्रारम्भ कर नामान्तरण का आदेश प्राप्त किया। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में नामान्तरण अपील संख्या–6/2002 प्रारम्भ किया और दिनांक 06.11.2006 को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द किया गया। प्रश्नगत जमीन विपक्षी दिनांक 22.07.1970 को पाबो देवी से रजिस्टर्ड केवालाद्वारा खरीद कर जमाबन्दी अपने नाम करवाया। प्रश्नगत जमीन का कुछ हिस्सा आवश्यकता पड़ने पर विपक्षी ने दिनांक 21.02.1990 एवं 22.02.1990 को अलग–अलग व्यक्ति के हाथ बेचा है और खरीददार वर्तमान में दखलकार ळी है।

अतः विपक्षी निवेदन करता है कि उपरोक्त कथन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन कर इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 05.08.2011 को दोनों पक्ष को सुना गया। आवेदक का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकृत करने हेतु आदेश पर लिखा गया था परन्तु बिना नोटिश दिये और बिना सुने दिनांक 06.11.2002 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि निम्न न्यायालय के आदेश में विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ताद्वारा स्थलीय जाँच में प्रतिवादी के दखल–कब्जा होने की जिक्र किया गया। परन्तु बाद में प्रतिवादी के शब्द को मिटाकर वादी शब्द का प्रयोग कर दिया गया। इसी तरह पूर्व में भी उनके द्वारा अस्वीकृत किया गया था। परन्तु बाद में इसे मिटाकर

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

स्वीकृत करने की बात भी कही गयी।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व में भी इस मामले में एक वाद आवेदक के द्वारा दायर किया गया है, जो अंचलाधिकारी/भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता/ समाहर्त्ता के स्तर पर खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी पुनः आवेदक के द्वारा यह वाद दायर किया गया, जो गलत है। विवादित जमीन पर उनका दखल–कब्जा होने की बात कही गयी एवं तत्संबंधी जिक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में भी होने की बात कही गयी। इस वाद में मध्य पक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी का कथन नहीं है। इस संबंध में पुनः विपक्षी के द्वारा बताया गया कि विवादित जमीन पर उनका दखल–कब्जा है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

2727
22.9.11